UPSP010006912024

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–10/विशेष न्यायाधीश (औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम), सहारनपुर।

पीठासीन– **संजय कुमार – V** (उच्चतर न्यायिक सेवा)

JO Code– UP1773

दाण्डिक अपील संख्या– 10 सन 2024

–––

राज सैनी पुत्र श्री जय सिंह, आयु 41 वर्ष, निवासी भवन सं0–117, दिल्ली रोड, मौहम्मदपुर माफी, हसनपुर, थाना– सदर बाजार, सहारनपुर।

..............अपीलार्थी।

बनाम

1. उत्तर–प्रदेश राज्य।
2. State Bank of India, Branch–Intoch, Delhi Road, P.S.–Sadar 0319/24 Bazar, Distt.–Saharanpur though Branch Manager, Saharanpur

.............प्रत्यर्थीगण।

–––

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता (न्यायमित्र):– श्री शिव कुमार।
प्रत्यर्थी सं० 1 के विद्वान अधिवक्ता– श्री नीरज चौहान, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)।
प्रत्यर्थी सं० 2 के विद्वान अधिवक्ता– श्री राकेश भटनागर।

–––

निर्णय

1. पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को पूर्व तिथि पर विस्तारपूर्वक सुना जा चुका है।

2. प्रस्तुत अपील विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त न्यायाधीश, सहारनपुर द्वारा परिवाद संख्या– 7390 सन 2020 भारतीय स्टेट बैंक बनाम राज सैनी, धारा–138 एन०आई० एक्ट, थाना–सदर बाजार, सहारनपुर में पारित आदेश दिनाँकित 19.12.2023 के विरुद्ध दाखिल की गयी है, जिसके द्वारा उक्त परिवाद के अभियुक्त राज सैनी को अंकन 90,000/–रुपये मय 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 30 दिन में अदा करने एवं 3 माह के कारावास से दण्डित किया गया है।

3. संक्षेप में परिवाद संख्या–7390 सन 2020 के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक, जोकि एक राष्ट्रीकृत बैंक है, की शाखा इनटच दिल्ली रोड सहारनपुर उपरोक्त के शाखा प्रबन्धक के पद पर कार्यरत है और प्रस्तुत वाद हस्ताक्षर करने दायर करने वकालतनामा हस्ताक्षित करने, मुकदमे में पैरवी करने यानि भारतीय

स्टेट बैंक की ओर से प्रस्तुत मामले मे न्यायालय में चलने वाली समस्त कार्यवाही में बैंक का प्रतिनिधित्व करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक से प्राधिकृत है। मुलजिम ने दिनांक 27–11–2017 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा उपरोक्त से मु० 4,94,000/–रू० (चार लाख चौरानवे हजार रूपये) का कार लोन बैंक के साथ लिखित अनुबंध करके निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन लिया था, जिसका ऋण खाता सं० 37324774430 है। उक्त ऋण की अदायगी मुलजिम को मु० 8000/–रू० (आठ हजार रूपये) प्रतिमाह की दर से किश्तों के रूप में सम्पूर्ण ऋण भुगतान पूर्ण होने तक जमा करा कर करनी थी, लेकिन मुलजिम ने ऐसा नहीं किया। परिणामस्वरूप मुलजिम का ऋण खाता अनियमित हो गया तथा मुलजिम की तरफ बैंक का कुल मु0 56,747/–रू० (छप्पन हजार सात सौ सैंतालीस रूपये) व ब्याज वाजिब हो गया। ऋण की अदायगी के सम्बन्ध में मुलजिम को बैंक की ओर से नोटिस भेजे गये और बार–बार तकाजे भी किये गये तथा व्यक्तिगत सम्पर्क भी किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ऋण की अदायगी के तहत मुलजिम ने वाजिब भुगतान के सम्बन्ध में एक चैक सं0–742748 तारीखी 18–03–2020 56747 (छप्पन हजार सात सौ सैंतालीस रूपये) का था तथा जो भारतीय स्टेट बैंक की शाखा चकरौता रोड सहारनपुर में स्थित मुलजिम के खाता सं० 36542577916 से सम्बन्धित था तथा जो भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं पर देय था। अपने ऋण खाता उपरोक्त में दिनांक 06–06–2020 को शाखा उपरोक्त में जमा किया, जो भुगतान हेतु प्रस्तुत होने पर उसी दिन दिनाक 06–06–2020 को मुलजिम के खाते में 'अपर्याप्त निधि' होने के कारण अनादृत/डिस्ऑनर हो गया। उपरोक्त चैक का इस प्रकार डिस्ऑनर/अनादृत होना निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट की धारा–138 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। मुलजिम को इस सम्बन्ध मे एक नोटिस दिनांकित 09–06–2020 दिनांक 09–06–2020 को बैंक अधिवक्ता श्री राकेश भटनागर के माध्यम से रजि० डाक द्वारा मुलजिम के दिये हुये पते पर भेजा गया, जो मुलजिम को प्राप्त हो गया, लेकिन नोटिस प्राप्त होने के बावजूद भी मुलजिम ने ना तो नोटिस का कोई जवाब दिया और न ही वांछित रकम अदा की। अतः यह परिवाद प्रस्तुत कर विपक्षी को विचारण हेतु तलब किये जाने की याचना की गई।

4. परिवादी की परीक्षा अन्तर्गत धारा– 200 दं०प्र०सं० के आधार पर अभियुक्त राज सैनी को धारा– 138 एन.आई.एक्ट में तलब किया गया। अभियुक्त उपस्थित आया। अभियुक्त द्वारा अपना बयान अन्तर्गत धारा– 251 दं.प्र.सं. अंकित कराया गया, जिसमें अभियुक्त ने परिवाद पत्र के कथनों से इन्कार किया तथा कथन किया कि प्रश्नगत चेक मेरे खाते का है और इस पर हस्ताक्षर मेरे ही है, परंतु बाकी एंट्री उसके हस्तलेख में नहीं है। अभियुक्त ने नोटिस से भी इन्कार किया है। अभियुक्त ने यह भी कहा है कि जब लोन लिया था, तब मेरा चैक जमानत के तौर पर लिया था।

5. परिवादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में शाखा प्रबंधक अजय सिंह को साक्षी पी.डब्ल्यू.–1 के रूप में परीक्षित कराया।

6. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा– 313 दं.प्र.सं. अंकित किये गये। जिसमें अभियुक्त ने अपने धारा– 251 दं.प्र.सं. के बयानों की पुनरावृत्ति की।

7. उक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है कि–

"1. The accused Raj Saini is convicted for the offence punishable under Section 138 of Negotiable Act 1881. Accordingly the accused is directed to suffer imprisonment for a period of three months and to pay a sum of Rs. 90,000/ (Ninety thousand) as fine. Out of such fine a sum of Rs. 85,000/ (Eighty five thousand) shall be payable to the complainant as a reimbursement/compensation of the cheque amount including interest and costs incurred.

2. Fine, so imposed will have to be paid within 30 days.

3. The complainant will be entitled to interest at the rate of 9% per annum from the date of judgment till payment of the fine so imposed.

4. In default of payment of fine and interest accrued thereupon, the accused will have to undergo additional imprisonment for two months.

5. Period undergone if any shall be adjusted."

8. अपील की नोटिस प्रत्यर्थीगण पर भेजी गयी। प्रत्यर्थीगण हाजिर आये।

9. अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि विपक्षी सं0–2 द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष अपना परिवाद विधिक समय सीमा से पूर्व योजित किया था तथा अपीलार्थी को डिमाण्ड नोटिस मिलने की तिथि का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है और न ही कोई डिमाण्ड नोटिस परिवाद–पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व प्राप्त हुआ था और इस तथ्य का सत्य ब्यान अपीलार्थी ने अपने ब्यान धारा 251 दं०प्र०संहिता व 313 दं०प्र० संहिता में अंकित कराया है, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और न ही अपने निर्णय में कहीं लिखा कि अपीलार्थी का उक्त ब्यान क्यों विश्वसनीय नहीं है। अपीलार्थी द्वारा ऋण लेते समय सुरक्षा में दिये गये कोरे चैक, जिन पर अपीलार्थी द्वारा केवल अपने हस्ताक्षर किये थे। उक्त चैक पर अपीलार्थी द्वारा कोई धनराशि शब्दों व अंकों में अपने हाथ से नहीं लिखी गयी थी और ना ही तिथि लिखी थी, विपक्षी सं0–2 को दिये गये थे। विपक्षी सं0–2 द्वारा अपीलार्थी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से एवं अवैध धनराशि वसूलने के लिए जानबूझकर अपीलार्थी द्वारा सुरक्षा में दिये गये उपरोक्त चैक पर कूटरचना अवैध धनराशि की और कूटरचित चैक का उपयोग बैंक से धन वसूलने के लिए बैंक में की, जो स्वतः ही धारा– 420, 467, 468, 471 भा०दं० विधान का अपराध घटित करता है। अपीलार्थी ने उपरोक्त तथ्य विचारण न्यायालय के समक्ष दौरान मुकदमा ब्यान धारा–251 दं०प्र० संहिता एवं 313 दं०प्र०संहिता में अपने ब्यान रिकार्ड कराते समय रिकार्ड करायी गयी है। उक्त ब्यान पत्रावली पर है, परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के रिकार्ड कराये गये उपरोक्त ब्यानों पर ना तो गम्भीरता से विचार किया गया और ना ही कोई निष्कर्ष का आधार अपने निर्णय में दिया कि अपीलार्थी का उक्त ब्यान क्यों विश्वसनीय नहीं है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का विधिक मूल्यांकन भली प्रकार नहीं किया। इसलिए विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। निम्न विचारण न्यायालय द्वारा तथाकथित चैक पर रुपयों व तारीख की कूटरचना के सम्बन्ध में कोई जांच, विवेचना नहीं की, ना ही किसी हस्तलेख विशेषज्ञ से अपीलार्थी का इस सम्बन्ध में रिकार्ड कराये गये ब्यान धारा 251 दं०प्र०संहिता के बाद भी कोई

जांच नहीं करायी और ना ही कोई प्रमाण–पत्र इस सम्बन्ध में लिया कि उक्त तथाकथित चैक पर रकम व तिथि अपीलार्थी के स्थान पर किस व्यक्ति ने की है और ना ही ऐसा कोई प्रमाण पत्र पत्रावली पर है। इसलिए प्रदर्श क–1 की सत्यता स्वतः ही विवादित है एवं स्वयं ही अविश्वसनीय बन चुकी है। इस प्रकार तथाकथित प्रदर्श क–1 नासाबित है। प्रदर्श क–2 सम्बन्धित बैंक कर्मियों द्वारा भी विपक्षी सं0–2 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष साबित नहीं कराया गया है। इसलिए प्रदर्श क–2 भी नासाबित है। विपक्षी सं0–2 द्वारा अपने अतिरिक्त किसी अन्य गवाह को अपने परिवाद पत्र के कथन के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए विपक्षी सं० 2 का साक्ष्य परिवाद पत्र अविश्वसनीय है। प्रदर्श क–5 को किसी भी डाक घर से सरकारी कर्मचारी से साबित नहीं कराया गया है, इसलिए प्रदर्श क–5 की सत्यता नासाबित है एवं पूर्ण रूप से विवादित है। जबकि विधि के अनुसार किसी व्यक्ति की दोषसिद्धी: हेतु समस्त दस्तावेजी साक्ष्य को पूर्ण रूप से साबित कराये जाने अति आवश्यक है। प्रदर्श क–5 स्वतः ही विधिक रूप से साबित नहीं है एवं अविश्वसनीय है। इस कारण निर्णय दोषपूर्ण हो चुका है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के किसी भी प्रस्तुत साक्ष्य, सत्यता एवं अन्य तथ्यों पर विश्वास न करने का कोई कारण अपने निर्णय में बिल्कुल नहीं लिखा है कि अपीलार्थी के प्रस्तुत तथ्य व साक्ष्य क्यों विश्वसनीय नहीं है। अपीलार्थी द्वारा जो रकम ऋण के बदले में विपक्षी सं० 2 को अदा की गयी है, उसका कोई रिकार्ड विपक्षी सं० 2 ने अपने वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। अतः याचना है कि उपरोक्त परिस्थितियों में प्रस्तुत अपील हाजा स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–12–2023 निरस्त किया जाये।

10. अपीलार्थी/अभियुक्त राज सैनी न्यायिक अभिरक्षा में है। अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2024 को आदेश पारित किया गया कि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड एवं क्षतिपूर्ति की धनराशि की 20% धनराशि 10 दिन के अंदर जमा करने पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश स्थगित किया जाता है तथा 25,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो जमानती दाखिल करने पर दौरान अपील रिहा किया जाये। अर्थदण्ड एवं क्षतिपूर्ति की धनराशि की 20–20 प्रतिशत धनराशि 10 दिन के अंदर जमा न करने की दशा में उक्त जमानत आदेश स्वतः निरस्त समझा जाये। उक्त आदेश का अनुपालन ना करने तथा अपीलीय न्यायालय में अपीलार्थी तथा उसके विद्वान अधिवक्ता के कई तिथियों तक उपस्थित न आने के कारण अपीलीय न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानतीय अधिपत्र पर अपीलार्थी/अभियुक्त को दिनांक 04.05.2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी/अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

11. मेरे द्वारा प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता/न्यायमित्र श्री शिव कुमार एडवोकेट, प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा प्रत्यर्थी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को पूर्व में दिनांक 26.05.2026 को सुना जा चुका है। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

समीक्षा एवं निष्कर्ष

12. प्रश्नगत दाण्डिक अपील अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अतिरिक्त न्यायालय, सहारनपुर द्वारा परिवाद संख्या– 7390/2020 भारतीय स्टेट बैंक शाखा

इनटच दिल्ली रोड द्वारा शाखा प्रबंधक सहारनपुर बनाम राज सैनी में पारित दोषसिद्धि निर्णय दिनांकित 19.12.2023 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है। इसमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त राजसैनी को धारा– 138 एन०आई० एक्ट में तीन माह के कारावास एवं 90,000/– रूपये अर्थदंड के दण्डादेश से अधिरोपित किया गया है, जिसमें से 85,000/– रूपए परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या– 2 को बतौर प्रतिकर दिये जाने का आदेश किया।

13. प्रत्यर्थी संख्या–2/परिवादी के कथनानुसार अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा एक चैक मुबलिग 56,747/– रूपये 18.03.2020 को दिया गया था। प्रत्यर्थी संख्या–2/परिवादी ने दिनांक 06.06.2020 को यह चैक भुगतान हेतु बैंक में जमा किया, जो रकम न होने के कारण अनादृित हो गया। प्रत्यर्थी संख्या–2/परिवादी द्वारा दिनांक 09.06.2020 को नोटिस दी गयी, जिसका अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई जबाव नहीं दिया गया और न ही भुगतान किया गया।

14. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा चैक देना साबित है और चैक ऋण के दायित्व के उन्मोचन के लिए जारी किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या–2/परिवादी द्वारा नोटिस दिये गये। नोटिस विधिनुसार तामील हैं। उसके बावजूद भी अभियुक्त द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी को भुगतान नहीं किया गया और अभियुक्त को धारा–138 एन०आई०एक्ट के अपराध का दोषी पाया।

15. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि परिवाद विधिक समय सीमा के पूर्व योजित किया गया था तथा अपीलार्थी को डिमांड नोटिस मिलने की तिथि का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, ना ही डिमांड नोटिस परिवाद–पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व प्राप्त हुआ था। इस तथ्य का बयान अपीलार्थी ने अपने बयान धारा 251 दंड प्रक्रिया संहिता व 313 दंड प्रक्रिया संहिता में अंकित कराया है, परंतु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। निर्णय में कहीं लिखा है कि अपीलार्थी का उक्त बयान विश्वसनीय क्यों नहीं है।

16. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा चेक **प्रदर्श क–1** दिनांकित 18.03.2020 को भुगतान हेतु 06.06.2020 भारतीय स्टेट बैंक में प्रस्तुत किया। **प्रदर्श क–2** से विदित होता है कि चेक संख्या 742748 का भुगतान दिनांक 06.06.2020 को अपर्याप्त निधि होने के आधार पर नहीं हुआ। परिवादी/प्रत्यार्थी संख्या–2 द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 9.06.2020 को नोटिस द्वारा अधिवक्ता **प्रदर्श क–4** प्रेषित किया गया।

17. सामान्य खण्ड अधिनियम– 1897 की धारा–27 यह प्रावधानित करती है कि विचारण के दौरान यह साबित करने का भार नोटिस प्राप्त करने वाले पर हैं कि उसे कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ।

18. इस सम्बन्ध में अपीलार्थी की ओर से कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह माना जा सके कि उसे नोटिस की जानकारी नहीं थी। नोटिस पर अंकित पते के सम्बन्ध में भी अपीलार्थी की ओर से कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जो पता नोटिस पर अंकित है, वह उसका नहीं है।

19. नोटिस **प्रदर्श क–4** पर अपीलार्थी का पता राज सैनी पुत्र जयसिंह निवासी म०न० 117 नियर शिव मंदिर वाली गली हसनपुर दिल्ली रोड जिला सहारनपुर अंकित है। उक्त पता अभियुक्त राज सैनी के बयान अंतर्गत धारा 251 दंड प्रक्रिया संहिता विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली प्रपत्र संख्या–17 ख बयान अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र संख्या 18/1 पर अंकित है। इस प्रकार नोटिस अपीलार्थी पर तामील हुआ है।

20. धारा 251 दंड प्रक्रिया संहिता में किया गया कथन कि मुझे नोटिस नहीं मिला है, के कथन के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विचारण किया गया है। जिसमें विधि एवं तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए अपीलार्थी पर नोटिस तामील माना गया है। धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में किया गया कथन कि मुझे नोटिस नहीं मिला है, के संबंध में अपीलार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे उसके कथन का समर्थन हो सके।

21. इस सम्बन्ध में अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि यह माना जा सके कि उसे नोटिस की जानकारी नहीं थी। नोटिस पर अंकित पते के सम्बन्ध में भी अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जो पता नोटिस पर अंकित है, वह उसका नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी/अभियुक्त का यह कथन कि उसे कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, निराधार है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में विधि एवं तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष दिया है और नोटिस की तामीला को पर्याप्त माना है, जोकि विधिक दृष्टि से उचित है।

22. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Rangappa v. Sri Mohan 2010 (3) R.C.R. (Criminal) 164,** में अभी मत व्यक्त किया कि–

> "This court held that once issuance of a cheque and signature hereon are admitted, presumption of a legally enforceable debt in favour of the holder of the cheque arises. It is for the accused to rebut the said presumption, though accused need not adduce his own evidence and can rely upon the material submitted by the complainant. However, mere statement of the accused may not be sufficient to rebut the said presumption."

23. इस प्रकार मात्र अपीलार्थी के कथनों के आधार पर यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि उसे नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

24. चेक दिनांक 06.02.2020 को अनादृत हुआ तथा डिमाण्ड नोटिस प्रत्यर्थी सं० 2 द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 09.06.2020 को प्रेषित की गयी। नोटिस अपीलार्थी को प्राप्त होना उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है। प्रत्यर्थी सं० 2 द्वारा परिवाद दिनांक 29.06.2020 को न्यायालय में संस्थित किया गया। नोटिस तामीला होने के 15 दिन के अंदर अपीलार्थी द्वारा भुगतान ना करने पर प्रत्यर्थी सं० 2 द्वारा परिवाद योजित किया

गया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि विधि समय सीमा के पूर्व परिवाद योजित किया गया है।

25. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया कि अपीलार्थी ने चेक में उल्लेखित धनराशि नहीं भरी है। इसलिए चेक में उल्लेखित धनराशि के लिए वह उत्तरदायी नहीं है।

26. परिवादी/प्रत्यार्थी संख्या–2 द्वारा अपने साक्ष्य में कथन किया कि मुलजिम ने दिनांक 27–11–2017 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा उपरोक्त से मु0 4,94,000/–रू० (चार लाख चौरानवे हजार रूपये) का कार लोन बैंक के साथ लिखित अनुबंध करके निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन लिया था, जिसका ऋण खाता सं० 37324774430 है। उक्त ऋण की अदायगी मुलजिम को मु० 8,000/–रू० (आठ हजार रूपये) प्रतिमाह की दर से किश्तों के रूप में सम्पूर्ण ऋण भुगतान पूर्ण होने तक जमा कराकर करनी थी, लेकिन मुलजिम ने ऐसा नहीं किया। परिणामस्वरूप मुलजिम का ऋण खाता अनियमित हो गया तथा मुलजिम की तरफ बैक का कुल मु0 56,747/–रू0 (छप्पन हजार सात सौ सैंतालीस रूपये) एवं ब्याज वाजिब हो गया। ऋण की अदायगी के सम्बन्ध में मुलजिम को बैंक की ओर से नोटिस भेजे गये और बार–बार तकाजे भी किये गये तथा व्यक्तिगत सम्पर्क भी किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ऋण की अदायगी के तहत मुलजिम ने वाजिब भुगतान के सम्बन्ध में एक चैक सं0–742748 तारीखी 18–03–2020 मु0 56,747/– (छप्पन हजार सात सौ सैंतालीस रूपये) का था तथा जो भारतीय स्टेट बैंक की शाखा चकरौता रोड सहारनपुर में स्थित मुलजिम के खाता सं० 36542577916 से सम्बन्धित था तथा जो भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं पर देय था, अपने ऋण खाता उपरोक्त में दिनांक 06–06–2020 को शाखा उपरोक्त में जमा किया, जो भुगतान हेतु प्रस्तुत होने पर उसी दिन दिनांक 06.06.2020 को मुलजिम के खाते में 'अपर्याप्त निधि' होने के कारण अनादृत/डिस्ऑनर हो गया।

27. उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि अभियुक्त ने लोन लेने हेतु आवेदन दिनांक 17.11.2017 को किया था। अभियुक्त का लोन का आवेदन दिनांक 27.11.27 को स्वीकृत हुआ था। ऋण देते समय बैंक द्वारा ऋण लेने वाले व्यक्ति से ऋण के संबंध में नियम व शर्तें बता दिया जाता है। विपक्षी द्वारा बैंक में किस्त जमा ना करने पर विपक्षी को बैंक द्वारा सूचना दी गई थी। फोन से विपक्षी को मैसेज किए गए हैं। विपक्षी सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर करता था और नकद जमा भी करता था। विपक्षी ने हमारी शाखा से यही लोन लिया गया है। विपक्षी पर हमारी शाखा से संबंधित वह मुकदमा न्यायालय में चल रहे हैं। बाद में बैंक द्वारा जो चेक दिया गया, वह 56,747/– रुपए का है। साक्षी को चेक दिखाया गया, वह विपक्षी के हस्तलेख से भरा है या नहीं, मुझे नहीं पता।

28. इस प्रकार परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा परिवाद के कथनों का समर्थन अपने साक्ष्य से भी किया गया है, जिससे अपीलार्थी के तर्कों को कोई बल नहीं मिलता रहा है, बल्कि परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 02 के कथनों का समर्थन हो रहा है।

29. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने उपाधारणा और साबित करने के भार के संबंध में निर्णय विधि व्यवस्था **Basalingappa vs. Mudibasappa (2019) 5 SCC 418** में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं–

"25.1. Once the execution of cheque is admitted Section 139 of the Act mandates a presumption that the cheque was for the discharge of any debt or other liability.

25.2. The presumption under Section 139 is a rebuttable presumption and the onus is on the accused to raise probable defence. The standard of proof for rebutting the presumption is that of preponderance of probabilities.

25.3. To rebut the presumption, it is open for the accused to rely on evidence led by him or the accused can also rely on the materials submitted by the complainant in order to raise a probable defence. Inference of preponderance of probabilities can be drawn not only from the materials brought on record by the parties but also by reference to the circumstances upon which they rely.

25.4. That it is not necessary for the accused to come in the witness box in support of his defence. Section 139 imposed an evidentiary burden and not a persuasive burden.

25.5. It is not necessary for the accused to come in the witness box to support his defence."

30. अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा बयान अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में चेक पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में यह उपाधारणा नहीं की जा सकती कि चेक अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा निर्गत नहीं किया गया है।

31. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने **Bir Singh vs. Mukesh Kumar (2019) 2 SCC (Cri) 40** में अभिमत व्यक्त किया कि–

32. A meaningful reading of the provisions of the Negotiable Instruments Act including in particular Sections 20, 87 and 139 makes it amply clear that a person who signs a cheque and makes it over to the payee remains liable unless he adduces evidence to rebut the presumption that the cheque had been issued for payment of a debt or in discharge of a liability. It is immaterial that the cheque may have been filled in by any person other than the drawer, if the cheque is duly signed by the drawer. If the cheque is otherwise valid, the penal provisions of Section 138 would be attracted.

33. If a signed blank cheque is voluntarily presented to a payee, towards any payment, the payee may fill up the

> amount and other particulars. This in itself would not invalidate the cheque. The onus would still be on the accused to prove that the cheque was not in discharge of a debt or liability by adducing evidence. Even a blank cheque leaf, voluntarily signed and handed over by the accused, which is towards some payment, would attract presumption under Section 139 of the Negotiable Instruments Act, in the absence of any cogent evidence to show that the cheque was not issued in discharge of a debt.

34. अपीलार्थी ने बयान अंतर्गत 313 दंड प्रक्रिया संहिता में चेक पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया हैं। अपीलार्थी ने बयान अंतर्गत 313 दंड प्रक्रिया संहिता में प्रश्न संख्या–3 के उत्तर में अपीलार्थी ने स्वीकार किया है कि प्रश्नगत चेक मेरे खाते का है। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, परंतु शेष लिखा–पढी मेरे हाथ की नहीं है। जब कार के लोन हेतु आवेदन दिया था, तब कुछ कोरे चेक जमानत के तौर पर लिए थे। उनमें से एक प्रश्नगत चेक का दुरुपयोग कर दावा दायर कर दिया है।

35. इस प्रकार अपीलार्थी अपने स्वयं द्वारा चेक जारी किया तथा कार ऋण की जमानत के तौर पर दिया जाना स्वीकार कर रहा है। अतः मात्र चेक में धनराशि अपीलार्थी के हस्तलेख में नहीं है, इस आधार पर ली गई प्रतिरक्षा पोषणीय नहीं है।

36. इस प्रकार उपरोक्त समीक्षा से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या–02 से कार हेतु ऋण लिया था तथा जिसकी किस्त के भुगतान हेतु एक चैक 56,747/–रूपए का परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 02 के नाम से दिया गया था, जोकि परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा हसनपुर सहारनपुर में दिनांक 06.06.2020 को प्रस्तुत किया गया तथा बैंक द्वारा दिनांक 06.06.2020 को चैक इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया कि अपीलार्थी/अभियुक्त के खाते में धनराशि अपर्याप्त है, जिसके भुगतान हेतु दिनांक 09.06.2020 को अपीलार्थी/अभियुक्त को नोटिस भेजा गया। नोटिस की तामीला के बावजूद भी अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा चैक की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या–02/परिवादी द्वारा अपने मामले को साबित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय में विधि एवं साक्ष्य की विस्तृत विवेचना करते हुए मामले के प्रत्येक बिन्दु पर अपना निष्कर्ष दिया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय में किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है। अतः न्यायालय अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अपील में कोई बल नहीं पाता है। अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थी/अभियुक्त राज सैनी की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या–10/2024 निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय

एवं दण्डादेश दिनांकित 19.12.2023 पुष्ट किया जाता है।

अपीलार्थी/अभियुक्त जेल से न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित है। सामान्य नियमावली (दाण्डिक) के नियम 96 में दिये गये प्रावधान के अनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख एवं इस निर्णय की प्रति सहित, विद्वान विचारण न्यायालय/सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष अविलम्ब इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वह अपीलार्थी/अभियुक्त का नियमानुसार दोषसिद्धि अधिपत्र बनाकर सजा भोगे जाने हेतु जिला कारागार भेजा जाना सुनिश्चित करें।

आदेश की एक प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख अविलम्ब वापस भेजा जावे।

अपील पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 08.06.2026

(संजय कुमार–V)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10/विशेष न्यायाधीश,
(औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम)
सहारनपुर।
(J.O. ID–UP1773)

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक 08.06.2026

(संजय कुमार–V)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10/विशेष न्यायाधीश,
(औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम)
सहारनपुर।
(J.O. ID–UP1773)

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.06.09 10:32:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court